

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 317 / 2008

दायर दिनांक 15.10.2008

रामरतनी बाई	उनवान	
	बनाम	सरकार

:- वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट :-

निर्णय दिनांक: 11.11.2022

:-निर्णय:-

पत्रावली पेश हुई | वकिल वादी हाजिर नही | बार बार आवाज लगाई गई हाजिर नही | हाजिर नही आने से पत्रावली अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो |



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

